

HB PORTFOLIO LIMITED

Regd. Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurgaon -122001 (Haryana) Ph.: 0124-4675500, Fax: 0124-4370985, E-mail: corporate@hbportfolio.com Website: www.hbportfolio.com, CIN No. L67120HR1994PLC034148

August 26, 2017

The Listing Department
Bombay Stock Exchange Limited,
Pheroze JeejeebhoyTowers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

Company Code: 532333

Sub: - Copies of Newspaper Advertisement - 22nd Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

In continuation to our letter dated August 22, 2017 with regard to Notice of 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Company, please find enclosed copies of Newspaper Advertisements published in Business Standard dated August 26, 2017, confirming completion of dispatch of Notice and Annual Report to all the eligible Shareholders, e-voting Information and Book Closure Date(s).

The above may please be treated as compliance of Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Para A of Part A of Schedule III of said Regulations.

Copies of the said advertisements are also available on the website of the Company, http://www.hbportfolio.com

Thanking you, Yours faithfully,

For NB PORTFOLIO LIMITED

DINESH KAPOOR

(Company Secretary & Compliance Officer)

Spurt in Indians using investors' visa for US entry



SURHAYAN CHAKRARORTY New Delhi, 25 August

As the US government's clampdown on temporary work visas used by information technology professionals continues to make news, the number of Indians quietly taking advantage of a littleknown visa programme to become US citizens has skyrocketed.

The EB-5 visa programme offers foreign residents the chance to become permanent US residents provided they invest a minimum \$500,000 in a government approved EB-5 business or create 10 full-time jobs in the country.

While Chinese citizens had remained the top applicants for long, applications from India had picked up dramatically since last year and were set to grow exponentially, said Jeff DeCicco, CEO of CanAm Investor Services, an immigration consultancy and investment facilitation firm.

'India has become a major player since 2015 even as the number of applications from China remained stagnant. We had received less than 30 applications from India in the 2007-14 period, while we are receiving around 200 applications annually now," DeCicco added.

A total of 10,000 visas are up for grabs every year with no country allowed more than seven per cent of all visas, or 700 slots, in the first instance.

However, if applicants from a country cross that limit, they are put on a waitlist, which is the case for most Rich Indians are opting for the EB-5 programme to cut through the line for permanent residency

- Indian investors have pumped in more than \$120 million through the programme, registering a growth rate of 140 per cent since 2014, ranking only behind China and Vietnam
- The US President Donald Trump-led administration has suggested the programme may be widened

Chinese citizens with whom the programme has been a hit since the beginning.

If there are remaining slots after applications close, waitlisted candidates are chosen. As a result, more than 85 per cent of visas went to Chinese nationals till 2014.

US government figures suggest Indian investors have pumped in more than \$120 million through the programme, registering a growth rate of 140 per cent since 2014. They rank just behind China and Vietnam.

While the scheme had been running since 1990, later amendments started the regional centre programme that Indians favour. It facilitates investments in targeted employment areas, mostly in rural areas, where unemployment rates are 1.5 per cent higher than the national average.

More on business-standard.com

B HB PORTFOLIO LIMITED

CIN: L67120HR1994PLC034148

Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area Sector 32, Gurugram-122001, Haryana Ph.: + 91-124-4675500, Fax No.: + 91-124-4370985

E-mail: corporate@hbportfolio.com, Website: http://www.hbportfolio.com

NOTICE OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE(S)

- 1. The 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, 26th September, 2017 at 03.00 P.M at GIA House, I.D.C. Mehrauli Road, Opp. Sector 14, Gurugram - 122 001, Haryana to transact such Ordinary and Special Business as set out in the Notice convening the AGM
- Electronic copy of the Notice of 22nd AGM and Annual Report for the Financial Year 2016-2017 have been sent to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant(s) for communication purposes unless any Member has requested for a hard copy of the same. A physical copy of the Notice and Annual Report has been sent to all other Members at their Registered Address by the permitted mode. The dispatch of Notice and Annual Report has been completed on 25th August, 2017
- In compliance with the provisions of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Members / Shareholders of the Company are provided with the facility to cast their votes by electronic means on all the resolutions proposed to be considered in this AGM from a remote location ("Remote e-voting")
- The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited (Karvy) as the authorised agency to provide the facility of Remote e-voting.
- Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 as amended, Members are hereby informed that:
 - a) the Ordinary Business and the Special Business as set out in the Notice of 22nd AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - the Remote e-voting shall commence on Saturday, 23rd September, 2017 at
 - the Remote e-voting shall end on Monday, 25th September, 2017 at 05.00 P.M. Thereafter, the facility of Remote e-voting shall be blocked by Karvy.
 - d) the e-voting rights of the Members shall be in proportion to the paid-up value of their Shares in the Equity Capital of the Company. Members of the Company holding Shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 19th September, 2017, may cast their vote by Remote e-voting/at the Meeting
 - any person who acquires Shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding Shares as on the cut-off. date i.e. 19th September, 2017 may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@karvy.com. However, if you are already registered with Karvy for Remote e-voting then you can use your exiting User ID and Password for casting your vote;
 - Members are further informed that:
 - remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on 25th September, 2017.
 - the facility for voting through Physical Ballot Papers shall be made available at the Meeting and Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by Remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the Meeting through Ballot Papers.
 - (iii) a Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the Meeting; and
 - (iv) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting as well as voting at the AGM.
 - g) Notice of the 22nd AGM and Annual Report are also available on the Company's website, http://www.hbportfolio.com and Karvy's website, https://evoting.karvy.com; and
 - h) In case of any query pertaining to Remote e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website https://evoting.karvy.com or contact Mr. S.V. Raju, Deputy General Manager of Karvy at 040-67161569 or e-mail at raju.sv@karvy.com, who shall address the grievances connected with the facility for voting by electronic means.
- Pursuant to the provisions of Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 20th September, 2017 to 26th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of ensuing AGM.

For HB Portfolio Limited

DINESH KAPOOR (Company Secretary) M. No.: F-6731

Date: 25.08.2017 Place: Gurugram







ल, एसजी इम्प्रेशन गर, राजः भगर १, उ.श201003 2, दूसरी मंजिल, इंबरिट्यल एरिया,	युनिट नं, 702, आठवीं गीजल, के एम ट्रेंड टॉवर, कोशम्भी, गाजियाबाद, उ.प्र. का सम्पूर्ण एव सर्वागीण विश्सा	(रुधये चीहत्तर लाख एक हजार छह सी अबतालीस एवं पैसे अञ्चसी मात्र) साथ में अनुबंध दर पर ब्याज (सम्पूर्ण भूगतान तक) एवं उस पर आकस्मिक व्यथ
ल एसजी हमोशन गर राज नगर ; उ.प्र-201003		

सम्पति के संबंध में कोई सोदा बकाया रकम के साथ अनुबंधकीय दर पर ब्याज (भुगतान किए जाने तक) के निए के प्रभार का विषय होगा।

अधिकृत अधिकारी आरबीएल वैक लिमिटेड

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय कार्यालय वसली अधिकारी-।। ऋण वसली अधिकरण—।।।, दिल्ली मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली

बिक्री उद्घोषणा

विनांक 08.08.2017

110 001

ायकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम साथ पढा जाये।

केनरा बैंक बनाम श्री राज कुमार वर्मा

त्र श्री दीना नाथ वर्मा, ए-4/246, सेक्टर-20, रोहिणी, दिल्ली-110065, और: मूतल 143, पॉकेट-10, सैक्टर-21, रोहिणी,

त्नी श्री राज कुमार वर्मा, ए-4/248, सेक्टर-20, रोहिणी, दिल्ली-110085, और: भूतल 143, पॉकेट-10, सैक्टर-21,

श्री राम सहाय, 80 / 2, ब्लॉक बीई, हरी नगर, नई दिल्ली-110064

जसीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा ओ ए नं. 161/2015/डी आर टी-III, दिल्ली में ऋणवसूली पके / उनके द्वारा देय योग्य **राशि रु. 15,94,146 / - (रु. पदंड लाख चौरान्वे डजार एक सौ छियालीस मात्र)** और प्रमाणपत्र जि.व. वागत कुल अदायगी की तिथि तक भुगतान करना होगा।

ाज व लागत जुल अदावना का ताब एक नुगतान करना होना। स्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टि: / सुगतान के लिए निम्नलिखितानुसार उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है। **1,94,146/— (र. पदंह लाख चौरान्वे हजार एक सी कियालीस मात्र)** और प्रमाणपत्र के अनुसार देय योग्य ब्याज व लागत ओ । अर्थात दिनांक 03.02.2015 से कुल अदायगी की तिथि तक 13% साधारण वार्षिक दर पर प्रतिवादी संयुक्त रूप / व्यक्तिगत से वसूली किया जाएगा।

ात किया जाता है कि स्थागन के किसी आदेश के आभाव में उक्त सम्पत्ति ई-नीलामी के द्वारा दिनांक 22.09.2017 को ी1 इण्डिया प्रा. लि., गल्फ पैट्रोकैम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, उद्योग विहार फेज-2, गुडगाँव (हरियाणा)-122015, 4-4302020 / 21 / 22 / 23, श्री विनोद, मो. 9813887931, ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com की वेबसाईट om से नीलाम किया जायेगा। अन्य विवश्ण हेतु श्री रंजीत कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक जिसका मो. नं. 9773870083, श्री प्रतीक ग्रॅंकिसर, मो. 07744973714, फोन नं. 011—23323891, केनरा बैंक, एआरएमबी—।।, संसद मार्ग, नई दिल्ली से सम्पर्क करें। तिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निंधारित किया हे लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

तए अनुभूची में विनिर्देष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति के भाग की बिक्री की राशि सम्पूर्ण देय राशि के संतुष्टि लायक बिक्री को तुरन्त रोक दी जायेगी। बिक्री तब भी रोक दी जायेगी यदि इससे पहले किसी लॉट की बोली छट जाती है, कथित ायों, ब्याज लागत (जिसमें बिक्री की लागत शामिल है) बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी को देय दी जाती है / प्रस्तुत की का प्रमाण दिया जाता है कि ब्याज वा लागत के साथ ऐसे प्रमाणपत्र की राशि का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है। होई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अधवा कर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शतों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शतों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी। है अनुसूची में उत्लिखित विवरण अद्योहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटी, गलत । अपुर्वा ने जारवाच्या जनका अवाहरावाय के प्राचार के जानकार के जाउना पर क्या का विश्व प्रकार के जाउना के के जाउ में चुक के होने पर अवाहरत्वाच्या इंडारा प्रत्युत्तर नहीं दिए जाएँगे। 1.82,000/— (रुपये ग्यारह लाख बावन हजार केवल) के नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। से बिंड राशि को बढ़ाया जाएगा रु. 80,000/— (रु. पचास हजार सात्र)। निविदा राशि पर अथवा निविदादाता द्वारा किसी

लेए नीलामी को तुरंत दोबारा प्रारंभ करवाया जाएगा।

सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएँगा। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार

े विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मृत्य स्पष्टतः अपर्याप्त प्रदर्शित होता है चूँकि ऐसा करना इसे अनुवित बना देगा। इ इपट / पे-ऑर्डर के रुप में, जिसे ऋणवसूली अधिकारी-।।, डी आर टी-।।।, दिल्ली के पक्ष में, दिल्ली में देय हो को को ऋणवसूली अधिकारी-।।, डी आर टी-।।।, दिल्ली के पास जमा करनी होगी। उसके उपरान्त जमा करने पर धरोहर ी होगी।

नतें का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई–मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और स्वामी की और से बोली लगाने वाले मामलो में बोली ना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी / प्रतिनिधित्व को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रशिद / काउन्टर तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति)

। डीआरटी– ।।। दिल्ली के कार्यालय में जमा कराना होगा। में अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे

निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।

ों की 75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्रों की तथि से 15 वें दिन को अध्यवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वा दिन खिवार या वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त **क्रेता को स** ही मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000 / - से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस ा।, दिल्ली के पक्ष में देव डिमांड हाफ्ट के हारा वसूली अधिकारी- ।।, डीआरटी- ।।।, दिल्ली के पास जमा करना होगा। भीतर भुगतान में चूक की स्थित में, सम्मत्ति की बिक्री नए सिर्श से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उदघोषणा बोलीदाता हारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी हारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, ब्ल कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्मत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्मत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त होने वाली के संबंध में, सभी दावे जब्ते हो जाएगें।

जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार" पर की जा रही है।

स, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई नी प्रास्थिगत करने का अधिकार सुरक्षित हैं।

के नाम के सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण अतिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह-मालिक है।	सभ्यति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	का विवरण जिसके लिए	विवाद अगर कोई है जो कि सत्यति के सत्वंध में आगे आवा है एकंक्रन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जीकि इसके मृत्य एवं प्रकृति प्रमाव रखता है।
2	3	4	6 (2)
143, पॉकंट-10, सैक्टर-21, रोहिणी,	कोई सूचना नही		
08.2017 को मोहर किया गया (सुजीत	कुमार) वसूली आ	वेकारी—।।, ऋणवस्	ली अधिकरण—।।।, दिल्ली

💶 एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड

CIN: L67120HR1994PLC034148 पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया

सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा

फोन: + 91-124-4675500, फैक्स नं. : + 91-124-4370985 ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, वेबसाइट : http://www.hbportfolio.com

22वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर तिथियों की जानकारी

दिनांक : 35 अगस्त 2017

- कंपनी की 22वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) मंगलवार, 26 सितम्बर, 2017 को दोपहर 03.00 बजे जीआईए हाऊस, आई.डी.सी., मेहरौली रोड, सैक्टर-14 के सामने, गुरुग्राम-122001 हरियाणा में उन साधारण एवं विशेष व्यवसायों के निष्पादन हेतु की जाएगी जो एजीएम के आयोजन की सूचना में निहित हैं।
- 22वीं एजीएम की सूचना की इलैक्ट्रोनिक प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रोनिक प्रति, उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के साथ पत्र व्यवहार हेतु पंजीकृत है, प्रेषित की जा चुकी है अन्यथा किसी सदस्य ने उक्त की भौतिक प्रति हेतु अनुरोध न किया हो। अन्य सभी सदस्यों को सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उनके पंजीकृत पते पर स्वीकृत माध्यम द्वारा मेजी जा चुकी है। सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट भेजने का कार्य 25 अगस्त, 2017 को पूरा किया जा चुका है।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनयम 44 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नयमावली, 2014 के नियम संख्या 20 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों/शेयरधारकों को एजीएम में विचार किए जाने वाले सभी प्रस्तावित संकल्पों पर रिमोट लोकेशन से इलैक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा मतदान करने की सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") प्रदान कर रही है।
- कंपनी ने रिमोट ई-वॉटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में कावीं कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कावीं) की सेवाएं ली हैं।
- कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2015 यथा संशोधित के नियम 20 के अनुसार सदस्यों को सुचित किया जाता है कि:
 - क. 22वीं एजीएम की सूचना में निहित साधारण एवं विशेष व्यवसायों का निष्पादन इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान के द्वारा किया जा सकता है :
 - ख. रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान शनिवार, 23 सितम्बर, 2017 को सुवह 09.00 बजे शुरू होगा
 - रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान सोमवार, 25 सितम्बर, 2017 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा कार्वी द्वारा निषेध कर दी जाएगी।
 - सदस्यों के ई-वोटिंग अधिकार कंपनी की इक्विटी पूंजी में उनके शेयरों के प्रदत्त मूल्य के बराबर होंगे। कंपनी के वह शेयर धारक जिनके पास कट-ऑफ तिथि अर्थात 19 सितम्बर, 2017 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर होंगे, वह कंपनी की साधारण बैठक में या रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं ;
 - ड. यदि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर का अधिग्रहण सूचना के प्रेषण के पश्चात करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 19 सितम्बर, 2017 को अश्रधारण होता है तो वह अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड evoting@karvy.com पर ई—मेल द्वारा अनुरोध कर प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप कार्वी के साथ रिमोट ई—वोटिंग हेतु पहले से पंजीकृत है तो आप विद्यमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रयोग कर मतदान कर सकते हैं;
 - सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि:
 - i) रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति 25 सितम्बर, 2017 को शाम 5.00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी।
 - भौतिक मत-पत्रें के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं वे उपस्थित सदस्य जिन्होंने अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं किया हो, भौतिक मत-पत्र द्वारा बैठक में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं ;
 - iii) वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया हो, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु उन्हें पुनः मतदान का अधिकार नहीं होगा ; और
 - iv) वे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोजिटरी (ओं) द्वारा अनुरक्षित लामकारी स्वामियों के रजिस्टर में अभितिखित होगा वे रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा अथवा एजीएम मैं मत-पत्र द्वारा मतदान करने हेतु योग्य होंगे।
 - छ. 22वीं एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपीट कंपनी की वेबसाइट, http://www.hbportfolio.com और कार्बी की वेबसाइट, https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है : और
 - ज. रिमोट ई-वोटिंग के किसी भी प्रश्न के संबंध में कृपया कार्वी की वेबसाइट, https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध Help एवं FAQ सेक्शन देखें या कार्वी के उप महाप्रवेधक, श्री एस.वी. राजू से फोन नं : 040-67161569 या raju.sv@karvy.com पर ई—मेल द्वारा सम्पर्क करे जोकि इलेक्ट्रोनिक मतदान से संबंधित आपकी समस्याओं का निदान करेंगे।
- भारतीय प्रतिभृति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनयम 42 एवं केंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 कें प्रावधानों के अनुसार सबस्यों के रिजस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तक 22वीं एजीएम के उद्देश्य से 20 सितम्बर, 2017 से 26 सितम्बर, 2017 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगे।

कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड

हस्ता /-दिनेश कपूर (कम्पनी सचिव)

तिथि : 25.08.2017 स्थान : गुरूग्राम M. No.: F-6731